न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 01 / 2023 निगरानी (GCMS 2023/19)
पंजीयन दिनांक– 07 / 02 / 2023
निर्णय दिनांक– 27 / 05 / 2024

1. श्री छगनलाल पिता देवकिशन चंदेल, सामालिक एवं आरटीआई कार्यकर्ता, निवासी अम्बिका चौक जल चक्की, कांकरोली, जिला राजसमंद।

–अपीलांट

बनाम

1. आयुक्त, नगर परिषद, राजसमंद, जिला राजसमंद।
2. श्री रमेशचन्द्र पिता भंवरलाल पहाड़िया, निवासी कलालवाटी, राजनगर, जिला राजसमंद।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री छगनलाल चंदेल — अपीलांट स्वंय
2. श्री सम्पतलाल बोहरा — अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2

निगरानी अन्तर्गत धारा–73(2) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 विरूद्ध नगरपालिका, राजसमंद के पट्टा संख्या 3866, 3865 दिनांक 10.12.2009

निर्णय

दिनांक 06 / 05 / 2024

- अपीलांट द्वारा यह निगरानी अंतर्गत धारा 73(2) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 विरूद्ध निर्णय नगरपालिका, राजसमंद के पट्टा संख्या 3865, 3866 दिनांक 10.12.2009 के विरूद्ध दिनांक 18.01.2023 को प्रार्थना पत्र बाबत धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

- इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि निगरानी में वर्णित राजस्व ग्राम जावद, पटवार हल्का धोईन्दा, तहसील व जिला

राजसमंद की आराजी संख्या 907 में नगरपालिका राजसमंद द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 2 श्री रमेशचन्द्र पहाड़िया को पट्टा संख्या 3866 एवं 3865 दिनांक 10.12.2009 से जारी किये जाने से व्यथित/ असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह निगरानी पेश की गई है।

- यह निगरानी दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट स्वंय उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सम्पतलाल बोहरा उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अनुपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 21.05.2024 को सुनी गई।

- अपीलांट स्वयं ने अपनी बहस में बताया कि निगरानी में वर्णित पट्टे रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा गलत तथ्य पेश कर प्राप्त किये है। राजस्व ग्राम जावद की आराजी संख्या 907 कुल रकबा 8 बीघा 06 बिस्वा के दो संयुक्त खातेदार श्री रामलाल पिता सेवाराम मेघवाल 1/2 एवं श्रीमती मांगी देवी पत्नि रामलाल बलाई 1/2 के हिस्सेदार है। श्रीमती मांगीदेवी द्वारा अपने हिस्से का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से रूपलाल बलाई व रामलाल बलाई को कर दिया था। उक्त भूमि का तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद से पट्ट संख्या 74/90 दिनांक 08.08.1990 प्राप्त कर चतरलाल, अशोक कुमार संतोषदेवी एवं मुकेश कुमार को भूमि विक्रय की गई, जिसके नये आराजी नम्बर 907/1 पडे। शेष बची भूमि शंकरलाल जटिया एवं मोहनलाल द्वारा रूपलाल से क्रय कर उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद से जरिये मिसल संख्या 255/92 से पट्टा संख्या 75/94 एवं मिसल संख्या 256/92 पट्टा संख्या 79/94 प्राप्त किया गया। शंकरलाल द्वारा उक्त भूमि संतोष देवी को एवं मोहनलाल द्वारा उक्त भूमि चतरलाल को विक्रय करने से उनका कोई हिस्सा नही बचता है। उक्त आराजी संख्या 907 में रमेशचन्द्र पहाडिया, मोहनलाल जटिया एवं शंकरलाल जटिया ने आपराधिक षडयंत्र आपसी सांठ–गांठ करते

हुए उक्त आराजी संख्या 907 में 1/4 की रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा रजिस्ट्री रमेशचन्द्र के नाम पर दोनो ने 1/4–1/4 हिस्सा दर्शाते हुए निष्पादित करवा दी जबकि तीनों को सच्चाई पता थी, इन्होने पूर्व में जारी पट्टे एवं तथ्यों को छुपाते हुए दस्तावेजों में हेरा–फेरी की तथा किशनलाल खटीक व देऊ बेन की भूमि में गलत तरीके से भूमि को तरमीम करवाकर नामांतरकरण खुलवा लिया एंव पूर्व में जारी पट्टो को छुपाते हुए नये पट्टे प्राप्त कर लिये, जो विधि विरूद्ध है। अतः अनुरोध है कि निगरानी स्वीकार फरमाई जिाकर मौजा गांव जावद की अराजी नम्बर 907 में रमेशचन्द्र पहाडिया के नाम से पट्टे उठाये गये है वो विधि विरूद्ध, न्यायोचित प्रक्रिया अपनाते हुए एवं निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की गहनता से जांच करा उचित कार्यवाही के आदेश जारी किये जावें तथा उक्त पट्टा संख्या 3866 एवं 3865 को निरस्त किया जावें।

- अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 ने अपनी बहस में बताया कि कथित आदेश 90 बी की उपधारा के तहत खातेदारी अधिकार खातेदार रमेशचन्द्र पहाडिया द्वारा सरेण्डर किये गये तथा सरेण्डर स्वीकार करने के बाद कथित भूमि नगरपालिका, राजसमंद के नाम दर्ज की गयी तथा नगरपालिका ने कथित भूमि का पट्टा रमेशचन्द्र के नाम पर नियमानुसार जारी किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध कोई निगरानी लायी नही होती है। नगरपालिका, राजसमंद द्वारा पट्टा संख्या 3866, 3865 दिनांक 10.12.2009 को जारी किया गया जिसके विरूद्ध यह निगरानी अब 14 वर्ष बाद पेश की गई है, मयाद बाहर पेश करने से केवल मयाद के बिन्दु पर ही निरस्त की जाना आवश्यक है। अपीलांट इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही था तथा उसे कथित आदेश को चुनौति देने के लिए निगरानी में धारा 96 जा. दी. के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निगरानी पेश करने के पूर्व स्वीकृति ली जाना आवश्यक था। भूमि के पट्टे रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा सन् 2009 में ही प्राप्त

कर लिये गये है तथा यह सब अपीलांट की जानकारी मे होते हुए भी उसने केवलमात्र रेस्पोडेंट संख्या 2 को जलील व परेशान करने के लिए यह निगरानी पेश की गयी है। जबकि कानूनन मूल पट्टों को शून्य घोषित कराने की कार्यवाही केवल अंतर्गत धारा 34 स्पेशिफिक रिलीफ एक्ट के तहत ही की जा सकती है। यह कहना गलत है कि पट्टो को निरस्त करने का अधिकार केवल नगर परिषद, राजसमंद के पास है। राजस्व ग्राम जावद की भूमि नगरपालिका राजसमंद क्षेत्र में स्थित है, उसके खातेदार रामलाल मेघवाल एवं मांगीदेवी को आराजी संख्या 907 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा का हिस्सेदार बता रखा है। मांगीदेवी ने अपने पूरे हिस्से अर्थात 1/2 की भूमि रूपलाल एंव रामलाल बलाई को विक्रय कर दी है, जिस पर उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद द्वारा पट्टा संख्या 74 सन् 1990 दिनांक 08.08.1990 को जारी किये गये तथा उसमें से नियमानुसार विक्रय किये गये जबकि उन पट्टों से इस निगरानी का कोई संबंध नही है। अपीलांट ने अनावश्यक गलत बाते लिखकर निगरानी पेश की है। अपीलांट ने यह नही बताया कि वह हितबद्ध व्यक्ति कैसे है, क्योंकि निगरानी केवलमात्र हितबद्ध व्यक्ति ही प्रस्तुत कर सकता है, परंतु इस मामले में अपीलांट छगनलाल किस प्रकार से हितबद्ध व्यक्ति है तथा वह केवल सामाजिक कार्यकर्ता के हिसाब से निगरानी पेश की है। जबकि उसे निगरानी पेश करने का कोई अधिकार नही है। साथ ही अपील अपीलांट खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

- प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि किसी भी निगरानी प्रकरण में आदेश 41 जप्ता दीवानी के तहत निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय के पक्षकारों का ही होता है, अन्यथा किसी भी पक्षकार को न्यायालय की अनुज्ञा दफा 96 जाप्ता दीवानी के तहत प्रस्तुत कर ही निगरानी प्रस्तुत किये जाने का अधिकार रहता है। दफा 96 जाप्ता दीवानी आवेदन में अपीलांट

को पृथक से आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण में आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार होने के कारण दर्शित करते हुए न्यायालय की अनुज्ञा प्राप्त कर ही वह निगरानी प्रस्तुत कर सकता है। अतएवं इस प्रकरण में दफा 96 जाप्ता दीवानी के आज्ञापक प्रावधानों के तहत कोई आवेदन अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा कोई आवेदन दफा 96 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत कर न्यायालय की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना जो निगरानी प्रस्तुत की गयी है, वह विधि के आज्ञापक प्रावधानों के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर